फारम सं0-563

| 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| | 2 | 3 |
| -23 | अभिलेख उपस्थापित।<br>कैलाश राम पिता स्व0 तिलक राम, निवास स्थान खिरगाँव, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-सिरसी-I, थाना नं0-144, खाता संख्या-36, प्लॉट संख्या-109, रकवा 0.0404 एकड़ (4.04 डिसमिल) (चार दशमलव शून्य चार डिसमिल) भूमि तेतरी देवी पिता स्व0 सेवा राम पति श्री जगदीश रविदास, निवास स्थान ग्राम-लरतांगो, थाना-दारू, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON21013532 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-262/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2879/रा0 दिनांक 31.12.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।<br>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 731 दिनांक 19.05.2022 से जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार -<br>क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत शिवचरण चमार हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 9.39 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 2.9974 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-62/I पर माधो चमार वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत् है। आवेदक के दादा वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 2.9570 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।<br>प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। | |

अनुसूची–14 फारम सं0–563

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश... कार्रवाई... टिप्पणी ता... |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। <br><br> उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में कैलाश राम पिता स्व0 तिलक राम, निवास स्थान खिरगाँव, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–सिरसी–I, थाना नं0–144, खाता संख्या–36, प्लॉट संख्या–109, रकवा 0.0404 एकड़ (4.04 डिसमिल) (चार दशमलव शून्य चार डिसमिल) भूमि तेतरी देवी पिता स्व0 सेवा राम पति श्री जगदीश रविदास, निवास स्थान ग्राम–लरतांगो, थाना–दारू, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। <br> लेखापित एवं संशोधित <br><br> अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। (sd/- 01/23) <br><br> अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। (sd/- 30/1/23) | |

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.02.01 12:06:36 +05:30
Location: 192.168.0.112